न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प इन्दौर (म.प्र.)

नत्थु पिता सीताराम मुकाती जाति भारूड
धंदा खेती निवासी ग्राम खापरखेडा
तहसील कुक्षी जिला धार ...पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

रमेश पिता बल्लु जाति भारूड धंदा खेती निवासी
ग्राम खापरखेडा तहसील कुक्षी जिला धार ....विपक्षी

विषयः– पुनरीक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अंतर्गत ::

माननीय महोदय,

सेवामे पुनरीक्षणकर्ता निम्न अनुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है कि :–

विपक्षी के द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय कुक्षी तहसील कुक्षी जिला धार के समक्ष आवेदनपत्र रास्ते की रुकावट को दुर करने के सबंध मे प्रस्तुत किया गया जिसमे किसी धारा का उल्लेख नही किया गया है। उक्त आवेदनपत्र को माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्र. क्र. 2/अ–13/2012–13 पर दर्ज किया होकर माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण मे दिनांक 5–1–13 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलाये जाने हेतु राजस्व निरिक्षक निसरपुर को पत्र जारी किया है। उक्त आदेश से आहत व्यथित एवं दुखी होकर यह पुनरीक्षण नियत अवधि एवं नियत न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्य प्रमाणित पतिलिपी सलग्न है।

R. 485/13 [illegible]

ए/4 टाल- फाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.7.2014	आवेदक ~~[illegible]~~ की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं। अनावेदक की ओर से श्री विक्रान्त होल्कर अभिभाषक उपस्थित। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [signature] अध्यक्ष	order noted [signature] 15/7/14

शाक्षेमुग्वा-80-फासंग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.